राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़
38वीं बैठक – दिनांक 17 अगस्त, 2011 कार्य बिंदु

कार्य बिन्दु संख्या –1

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने जिलों का ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने हेतु ब्लाक/जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के ग्रामीणों में व्यवसायिकता एवं उद्यमिता का विकास करें और उनको स्थानीय संसाधनों पर आधारित गतिविधियों हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाएं। राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन से जुड़े व्यवसाय के विस्तार एवं उसकी गुणवत्ता सुधार हेतु पर्यटन विभाग संभावित कार्ययोजना तैयार कर उनमें ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु समुचित रणनीति बनाएं। ऋण–जमा अनुपात बढ़ाने के लिए उत्तराखंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राज्य के जिलों का **पोटेन्शियल सर्वे** कर, **संबंधित रिपोर्ट** सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को उनके टिप्पणी एवं कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया गया है।

(कार्रवाई – सभी अग्रणी जिला प्रबधक/जिला के रेखीय विभाग)

कार्य बिन्दु संख्या –2

प्रमुख सचिव (एफआरडीसी) उत्तराखंड़ ने कृषि विभाग को पुनः निर्देशित किया कि वे एक माह के अन्दर सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों एवं एस0एल0बी0सी0, उत्तराखंड़ को शेष अऋणी कृषकों की सूची उपलब्ध कराएं, ताकि बैंको द्वारा **किसान क्रेडिट कार्ड** जारी किये जा सकें। इस संबंध में, कृषि विभाग/ बैंक, जिला / ब्लाक स्तर पर बहुउद्देशीय कैम्प आयोजित कर, मौके पर ही आवेदन पत्र, फोटो, भूमि अभिलेख की प्रति आवेदक को उपलब्ध करा कर के0सी0सी0 जारी किया जाए। के0सी0सी0 सभी नामित फसलों के लिए दिये गये किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि बीमा हेतु **प्रीमियम** अनिवार्य रुप से काट कर **राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी** / आई0सी0आई0सी0 लोम्बार्ड को प्रेषण सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई – निदेशक कृषि, उत्तराखंड़ शासन/राष्ट्रीय कृषि बीमा कम्पनी / आई0सी0आई0सी0 लोम्बार्ड/समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 3

उद्यान विभाग द्वारा 100 वर्ग मीटर वाले "पाली हाउस" में चुनिन्दा फूलों एवं बेमौसमी सब्जियों की हाई–टेक विधि से संरक्षित खेती करने के इच्छुक कृषकों के क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसके लिए वर्ष 2011–12 के लिए 6000 पाली हाउस के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उद्यान विभाग पाली हाउस स्थापित करने के इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंक शाखाओं को वित्तपोषण हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं और प्रेषण की सूची दिनांक सहित बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक / एस0एल0बी0सी0 को प्रेषित की जाए। सचिव (उद्यान) ने सभी संबंधित बैंक को निर्देशित किया कि इन आवेदनों की जॉच कर शीघ्र ऋण वितरण की कार्रवाई करें एवं वित्त पोषण उपरान्त स्थापित किये गये "पाली हाउस" की गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी/टिप्पणी , निदेशक (उद्यान) को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्रवाई – निदेशक, उद्यान विभाग /सम्बन्धित बैंक/ अग्रणी जिला प्रबन्धक)

कार्य बिन्दु संख्या – 4

निदेशक एच0आर0डी0आई0 को निर्देशित किया गया कि जडी–बूटी के कृषिकरण हेतु चयनित किये गये 300 क्लस्टर/ग्रामों की सूची एक माह के अन्दर सम्बन्धित बैंकों / अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उपलब्ध करायें एवं इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण हेतु प्रेषित करें और प्रेषण की सूची दिनांक सहित बैंक नियंत्रक / अग्रणी जिला प्रबंधक/ एस0एल0बी0सी0 को प्रेषित की जाए।

(कार्रवाई– निदेशक, एच0आर.0डी0आई0 /उद्यान विभाग/ अग्रणी जिला प्रबन्धक)

कार्य बिन्दु संख्या – 5

प्रमुख सचिव एवम् आयुक्त (एफआरडीसी) उत्तराखंड़ शासन ने ग्राम्य विकास को निर्देशित किया कि शेष तीन जिलों (उत्तरकाशी, नैनीताल, चम्पावत) में आरसेटी हेतु आवसीय भवन के निर्माण के लिये एक माह के अंदर भूमि आबंटित/ हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था करें और इन जिलों के निदेशक (आर–सेटी) को जिलाधिकारी से संपर्क कर इस प्रकरण में तीव्रता लाने हेतु निर्देशित किया।

(कार्रवाई – ग्राम्य विकास विभाग/आर सेटी)

कार्य बिन्दु संख्या – 6

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकार से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, मनरेगा के भुगतान हेतु बैंको की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली (Core Banking System) में खोले गये लाभार्थियों के खातों में Electronic Benefit Transfer(EBT) द्वारा संबंधित बैंको के साथ राशियों को ऑन लाईन अंतरण करने की शीघ्र व्यवस्था करें।

(कार्रवाई – राज्य सरकार के संबंधित विभाग/सम्बन्धित बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 7

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने संबन्धित बैंको से अनुरोध किया कि सभी बैंक शेष सुविधा रहित 2000 से अधिक जनसंख्या वाले एवम् अटल आदर्श ग्रामों में मूलभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायें। बैंकों द्वारा की गई त्रैमासिक प्रगति के अंतर्गत जारी किए गए स्मॉर्ट कार्ड, खोले गए खातों की संख्या भी सम्मिलित करें। बी0एस0एन0एल0 से अनुरोध किया कि बैंकों की प्राथमिकता / आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामों में ब्रॉड बैण्ड / जी0पी0आर0एस0 कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए।

(कार्रवाई – सम्बन्धित बैंक/ बी0एस0एन0एल0)

कार्य बिंदु संख्या – 8

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन बैंकों का ऋण–जमा अनुपात **30 प्रतिशत से कम** है, उन बैंकों की शीर्ष प्रबंधन, उसमें सुधार लाने हेतु किए गए प्रयास / कार्रवाई से एस0एल0बी0सी0 को अवगत कराए।

1. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
2. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
3. यूको बैंक
4. इण्डियन ओवरसीज बैंक
5. बैंक ऑफ इण्डिया
6. यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
7. इण्डियन बैंक
7. इंडसइंड बैंक
8. कर्णाटक बैंक

(कार्रवाई – संबंधित बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 9

प्रमुख सचिव (एफ0आर0डी0सी0) ने पर्यटन विभाग को निर्देशित किया कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तपोषण का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है, अतः समुचित मात्रा में आवेदन पत्र (विशेषकर गैर–वाहन श्रेणी के) बैंकों को प्रेषित करें और माह सितम्बर, 2011 तक लक्ष्य का 50 प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने अपर निदेशक (पर्यटन) को निर्देशित किया कि विवादित **पौड़ी प्रकरण** की जॉच रिपोर्ट एक माह के अंदर शासन को प्रेषित करें ताकि उन पर अविलम्ब निर्णय लेकर लम्बित अनुदान राशि बैंकों को प्रेषित की जा सके।

(कार्रवाई – पर्यटन विभाग / समस्त बैंक)

कार्य बिन्दु संख्या – 9

अध्यक्ष महोदय ने निदेशक, के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी. को निर्देशित किया कि वे लम्बित अनुदान राशि शीघ्र बैंको को उपलब्ध करायें और बैंको को कहा कि यदि उनके स्तर पर कोई अनुदान दावा लम्बित हो तो उसे एक माह के अन्दर **"नोडल बैंक शाखा"** के माध्यम से के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी. को निपटान हेतु प्रेषित करें।

(कार्रवाई–समस्त बैंक /के.वी.आई.सी./के.वी.आई.बी.)

कार्य बिन्दु संख्या –10

अध्यक्ष महोदय ने सभी बैंको को निर्देशित किया कि उनके द्वारा जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों को मिलान जिले के सी0आर0ए0 कार्यालय से कर लें ताकि लम्बित आर0सी0 के सही आँकड़े प्राप्त हो सकें। इस सम्बन्ध में सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैंकों द्वारा दर्ज की गयी आर0सी0 पर शीघ्रता से वसूली करें।

(कार्रवाई– समस्त बैंक/जिला अधिकारी)

कार्य बिन्दु संख्या – 11

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने एस0एल0बी0सी0 बैठक में अधिकांश बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के प्रतिभागिता न करने को गम्भीरता से लिया है और बैंकों को निर्देशित किया कि भविष्य में इस बैठक में केवल नियंत्रक / शीर्ष अधिकारी ही सक्रिय प्रतिभाग करें। उन्होंने बैंको को निर्देशित किया कि वे अपने लघु उद्योग क्षेत्र के Potentially Viable Sick Units को restructure कर पुनर्वासित करने हेतु शीघ्र कार्रवाई करें।

(कार्रवाई – समस्त बैंक नियंत्रक)

कार्य बिन्दु संख्या – 12

सभी बैंक नियंत्रक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक से आग्रह किया गया है कि माह सितम्बर, 2011 तक के एस.एल.बी.सी. के आँकड़ों का विवरण (एस0एल0बी0सी0 रिटर्न 1 से 48), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड़ को दिनांक 15 अक्तूबर, 2011 तक ई–मेल (agmslbc.zodeh@sbi.co.in) द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें। आगामी एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड़ की बैठक 16 नवम्बर, 2011 को प्रस्तावित है।

(कार्रवाई– समस्त बैंक नियंत्रक/समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक)

****